भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 60

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016 को दिया गया)

<u>निवेश संबंधी जागरुकता कार्यक्रम</u>

***60. श्री अरविंद सावंत :**

श्री आलोक संजर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि वित्तीय मामलों की जानकारी के अभाव में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लघु निवेशकों सहित निवेशकों के लाभार्थ विभिन्न हितधारकों के सहयोग से 'निवेशक जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के अंतर्गत आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग में नहीं लाई जा सकी शेष धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में 26 फरवरी, 2016 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 60 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न शिकायतों में से कुछ छोटे निवेशकों से विशेषकर चिट फंड/बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) कार्यकलापों में शामिल कंपनियों द्वारा छल करने से संबंधित हैं। ऐसी शिकायतों के आधार पर, मंत्रालय ने गंभीर घोखाधड़ी जांच कार्यालय को 31.01.2016 तक ऐसी 167 कंपनियों के मामलों की जांच का आदेश दिया है। इनमें से 77 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और 68 मामलों में कंपनियों/निदेशकों/ कार्यालयों के विरूद्ध अभियोजन दर्ज करने के निदेश दिए गए हैं।

(ख): मंत्रालय निवेशकों में कपटपूर्ण स्कीमों के बारे में जागरूकता लाने और सुविचारित निवेश निर्णय लेना आसान करने के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) आयोजित करता है। ये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम तीन व्यावसायिक संस्थानों, अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के साथ मिलकर चलाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (31.01.2016 तक) के दौरान, ऐसे 6209 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन गठित सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी 286 कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरे देश में विभिन्न निवेशक शिक्षा और वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम संचालित करता है।

(ग) और (घ): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित, उपयोग की गई और वापस की गई धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	आबंटित राशि (रुपए में)	उपयोग की गई राशि (रुपए में)	उपयोग नहीं की गई राशि (रुपए में)
2013-14	4,50,00,000	4,38,10,000	11,90,000 (शेष अप्रयुक्त राशि)
2014-15	3,00,00,000	2,84,24,000	15,76,000 (मार्च, 2015 में बजट अनुमान के 15% तक आवर्ती व्यय की अधिकतम सीमा के कारण)
2015-16	4,50,00,000	3,32,26,345 (01.02.2016 तक)	वर्तमान वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है।

(ड.): निवेशकों में जागरूकता लाने के लिए आकाशवाणी पर जिंगल प्रसारित किए जाते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रिंट मीडिया अभियान चलाए जाते हैं और विभिन्न टी.वी. चैनलों पर संदेश दिखाए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय शामिल

किए गए हैं, जिनमें कंपनियों द्वारा जमा की स्वीकृति के संबंध में कड़े उपबंध, कारपोरेट शासन के लिए कड़े मानक, आंकड़ा विश्लेषण निगरानी और फोरेंसिक उपकरणों के प्रयोग आदि द्वारा कपट की जल्दी पहचान करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है।

*****